



## मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्र. 4700/NREGS-MP/NR-7/2010

भोपाल, दिनांक 22/07/2010

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा),  
जिला / जिला पंचायत - (समस्त)  
मध्यप्रदेश।

**विषय:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों को दी गई क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी देने विषयक।

—000—

विषयांतर्गत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 5 की अनुसूची 2 की कण्डिका 33 का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र की कण्डिका 3.5.2 के अंतर्गत कार्य के दौरान दुर्घटना में किसी मजदूर की मृत्यु होने पर या स्थाई रूप से अपंग होने पर अधिकतम 25000/- रूपए राशि दिए जाने का प्रावधान है। आपके जिले द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण परिषद स्तर पर संकलित किया जाना है। अतः क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण निम्नानुसार परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने की स्थिति में पूरे प्रकरण को स्पष्ट करते हुए तत्काल परिषद को पत्र द्वारा एवं दूरभाष द्वारा सूचित करें।
2. मजदूरों के घायल-होने पर दी जाने वाली चिकित्सा के व्यय की जानकारी भी परिषद को उपलब्ध कराएं।
3. क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में माहवार जानकारी संलग्न प्रारूप "अ" अनुसार प्रतिमाह 10 तारीख तक परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। जानकारी निरंक होने की स्थिति में निरंक प्रस्तुत करें।
4. क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में जानकारी संलग्न प्रारूप "अ" अनुसार माह अप्रैल, मई एवं जून 2010 की स्थिति में चार दिनों के भीतर परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जानकारी निरंक होने की स्थिति में निरंक प्रस्तुत करें।

संलग्न : प्रारूप "अ"

(शिवशेखर शुक्ला)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद



**मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद**  
(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

मनरेगा अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का जानकारी पत्रक - प्रारूप "अ"

क्र.	वर्ष	माह	जिला	ग्राम पंचायत	कार्य एवं कार्यस्थल का नाम	कार्य के दौरान घायल मजदूरों की संख्या	घायल मजदूर को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि	घायल मजदूरों के लिए चिकित्सा में हुआ व्यय	मृतक मजदूर का नाम	मृतक मजदूर के परिवार को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
एवं  
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
म.गा.रा.ग्र.रो.गा. स्कीम - म.प्र.  
जिला पंचायत - .....